31/7/24

पत्रा॰ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] / [illegible]
[illegible] पत्रा॰ [illegible]

पत्रा॰ [illegible]
[illegible] पेश हो।

सहायक कलक्टर
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 मुकेश बनाम करतार वगै0

दावा बाबत् 53,54,88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 84/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 19.05.25 के अनुसार अंकित आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम शाहपुर तहसील स्थित नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.05.25 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 19.05.25 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 9, 10 की राजस्व रिकॉर्ड में जाति बाबाजी के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज की जावे। पत्रावली डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग –––––– बाबत –––––––––– खर्चा इस मुकदमें के मयसूद ब शरह ––––––––––फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक ––––––––– की अदा करें ।

दसख्त व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत– 3/7/25
सहायक कलेक्टर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ... तहसील ... भरतपुर। वादी

बनाम

1. करतार पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील न... भरतपुर।
2. मानसिंह पुत्र महाराज सिंह (मृतक)
   2/1. रामश्री बेवा मानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नद... भरतपुर।
   2/2. बीरपाल सिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नद... भरतपुर।
   2/3. मनोज कुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई ... भरतपुर।
3. लालसिंह पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई ... भरतपुर।
4. सरकार पुत्र भिक्की जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरत... (मृतक)
   4/1. बैकुण्ठी बेवा सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जि... भरतपुर।
   4/2. बलवीर सिंह पुत्र सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिल... भरतपुर।
   4/3. रमेश पुत्र सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/4. जलसिंह पुत्र सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/5. फूलवती पुत्री सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/6. पूरनवती पुत्री सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/7. बबली पुत्री सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. दिनेश पुत्र पीतम जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. फूलवती पत्नी खैमचंद जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. लाखनसिंह पुत्र खैमचंद जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. सुरेश पुत्र पीतम जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. राजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. बृजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
12. सब रजिस्ट्रार नदबई।
13. पीएनबी शाखा लखनपुर।
14. बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ...
15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नदबई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

3/7/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
84/2019	07.06.2019	03.07.25

उनवान

1. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। वादी

बनाम

1. करतार पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. मानसिंह पुत्र महाराज सिंह (मृतक)
   2/1. रामश्री बेवा मानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/2. बीरपाल सिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/3. मनोज कुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. लालसिंह पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सरकार पुत्र भिक्की जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   4/1. बैकुण्ठी बेवा सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/2. बलवीर सिंह पुत्र सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/3. रमेश पुत्र सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/4. जलसिंह पुत्र सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/5. फूलवती पुत्री सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   4/6. पूरनवती पुत्री सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25

Scanned with OKEN Scanner

4/7. बबली पुत्री सरकार जाति जाट निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. दिनेश पुत्र पीतम जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. फूलवती पत्नी खैमचंद जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

7. लाखनसिंह पुत्र खैमचंद जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

8. सुरेश पुत्र पीतम जाति बाबाजी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

9. राजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

10. बृजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्गण निवासी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

12. सब रजिस्ट्रार नदबई।

13. पीएनबी शाखा लखनपुर।

14. बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डहरा नदबई।

15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एडवो0 (वादी की ओर से)

श्री भरत चौधरी एडवो0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

श्री जीतेन्द्र गौड एडवो0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

श्री पूरन सिंह एडवो0(प्रतिवादीगण की ओर से)

दावा अन्तर्गत धारा 53,54,88,89,188 आरटीए एक्ट

—: निर्णय :—

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विवादित आराजी खसरा नंबर 1120 रकबा 0.17 है0, 973 रकबा 0.07, 974 रकबा 0.07, 975 रकबा 0.04, 976 रकबा 0.10 किता 5 कुल रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई में स्थित है। जमाबंदी संवत 2073–76 पेश है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी [illegible] किए जाकर वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कानूनी बंटवारा किया जाकर [illegible] हिस्से के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25

Scanned with OKEN Scanner

कुरे का न्यारानूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अलग अलग लगान कायम किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/3, 3 एवं 4/2 की ओर से श्री भरत चौधरी एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 3 एवं 4/1 लगायत 4/7 की ओर से श्री जीतेन्द्र गौड एवं प्रति0 संख्या 9 व 10 की ओर से श्री महेन्द्र मीणा एडवोकेट उपस्थित हुए। जबाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगणों द्वारा जबाव दावा पेश नहीं किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तदुपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

वादपत्र में दिनांक 12.03.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 23.05.2025 को कुर्रे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में भिजवाए गए। पत्रावली बहस कुरा रिपोर्ट हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री पूरन सिंह द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0 बाबत् उक्त प्रतिवादीगणों के खिलाफ की गई एकतरफा कार्यवाही को मंसूख किया जाकर दावा में आगे की कार्यवाही में पैरवी किए जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगणों के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए उन्हें दावा में आगे की कार्यवाही में पैरवी किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई जिस पर उक्त प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 व 8 एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4/2, 4/3 द्वारा कुर्रा रिपोर्ट पर अलग–अलग आपत्ति प्रार्थना पत्र/ऐतराज कुर्रा पेश किया गया। पत्रावली बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस कुर्रा रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत् सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन रहे कि कुरा रिपोर्ट तैयार करते समय न तो हम प्रतिवादीगण को नोटिस दिए गए और न ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना की गई। कुरा नंबर 1 वादी को दे दिया गया है। हम प्रार्थीगण का [illegible] 975, 976 के संपूर्ण हिस्से पर पक्का मकान निर्मित है जिसका कुरा [illegible] 02 [illegible] हम प्रार्थीगणों के साथ साथ शेष समस्त प्रतिवादीगण/खातेदारों को दे दिए [illegible] कुरा रिपोर्ट मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार तैयार नहीं की गई। कुर्रा नंबर [illegible] में अन्य सभी काश्तकारों को सम्मिलित रख दिया गया है जबकि उनका भी अलग–अलग कुर्रा किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में पुनः कुर्रा कराने के लिए न्यायालय हाजा में दावा पेश न करना पडे। अतः मौके अनुसार ही कुरा रिपोर्ट तैयार की जाए। अन्य प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3, 4/2, 4/3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1120 रकबा 0.17 के आधे हिस्से को हम जोत रहे हैं जबकि संपूर्ण रकबा अन्य को दे दिया गया है। पूर्व की आपत्ति प्रार्थना पत्र के कथनों को भी दोहराया गया अतः कुरा रिपोर्ट पुनः मंगवाई जाए।

वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कुर्रा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश नहीं करते हुए सीधी बहस की गई। बहस के दौरान वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता के कथन रहे कि कुर्रा नंबर 01 पर प्रतिवादीगण का कोई ऐतराज नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के अलग–अलग कुर्रे बनाए गए हैं। कुर्रे के समय प्रतिवादीगणों को नोटिस दिए गए हैं तभी इन्होंने आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट प्रार्थना पत्र लगाया है। प्रार्थी द्वारा कही भी अपने प्रार्थना-पत्र में खसरा नंबर 1120 बाबत् कुछ आपत्ति पेश नहीं की है केवल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना की बात की है जबकि उक्त कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना की गई है एवं कुर्रा रिपोर्ट नियमानुसार ही तैयार की गई है।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी/प्रतिवादी के कथनानुसार आराजी खसरा नंबर 975 एवं 976 पर दिनेश, सुरेश पुत्र पीतम एवं फूलवती पत्नी खैमचंद के कब्जेकाश्त में हैं एवं उक्त संपूर्ण रकबा पर पक्का मकान निर्मित है। कुर्रा नंबर 02 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 973, 974, 975, 976 प्रार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगणों को सम्मिलित रूप से दिए गए हैं। अतः प्रार्थी के कब्जेकाश्त में रही आराजी खसरा नंबर 975 व 976 भी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को दी गई है। कुर्रा नंबर 01 में आराजी खसरा नंबर 1120 को वादीगण मुकेश, राजेश पुत्र ओमप्रकाश को दिए गए हैं। चूंकि विवादित आराजी की कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 19.05.25 के अनुसार निर्मित किए गए दोनों कुर्रा में ही कुर्रा नंबर 01 में सम्मिलित रूप से वादीगण तथा कुर्रा [illegible] में सम्मिलित रूप से प्रतिवादीगणों के मध्य विवादित [illegible] किया गया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते हुए कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रार्थी अधिवक्ता के कथनानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई जिस पर कुर्रा रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते समय कुर्रा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया चूंकि प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति कुर्रा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस तथ्य का खण्डन करता है कि कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते समय प्रार्थीगण/प्रतिवादीगणों को नोटिस/सूचना प्रदान नहीं किए गए। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों द्वारा जो आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पेश किए गए हैं महज वादपत्र के निरतारण में विलम्ब उत्पन्न करने हेतु पेश किए गए हैं। तहसीलदार नदबई द्वारा विवादित आराजी के संबंध में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। कुर्रा रिपोर्ट मौका अनुसार ही है अतः प्रार्थीगणों का ऐतराज कुर्रा/कुर्रा रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण ऐतराज कुर्रा खारिज किया जाकर दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:—

—::अन्तिम पर्चा डिक्री::—

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.17 है0, 973 रकबा 0.07, 974 रकबा 0.07, 975 रकबा 0.04, 976 रकबा 0.10 किता 5 कुल रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 19.05.25 के अनुसार अंकित आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम शाहपुर तहसील स्थित नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.05.25 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 19.05.25 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 9, 10 की राजस्व रिकॉर्ड में जाति बाबाजी के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.07.25 को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3/7/25

(RAS)

सहायक कलेक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner